DHYEYA IAS
most trusted since 2003

DAILY pre PARE
Current affairs summary for prelims

20 September, 2023

73वां और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम

सन्दर्भ: सरकार ने 19 सितंबर, 2023 को लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने के लिए **संविधान संशोधन (एक सौ अट्ठाईस वाँ संशोधन) विधेयक,** 2023, पेश किया।

- संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का प्रयास 1990 के दशक के मध्य में शुरू हुआ था।
- दो महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन, 73वें और 74वें संशोधन, प्रधानमंत्री पी. वी. नरसिम्हा राव के समय अधिनियमित किए गए थे।
- 73वें संशोधन के तहत 24 अप्रैल, 1993 से पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण अनिवार्य कर दिया गया।
- 74वें संशोधन के तहत 1 जून, 1993 से शहरी स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण की व्यवस्था की गई।
- इन स्थानीय स्तर के आरक्षणों के बावजूद, संविधान संशोधन (128 वां संशोधन) विधेयक, 2023 पेश होने से पहले तक उच्च विधायी निकायों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण की व्यवस्था अपर्याप्त थी।

संशोधनों की पृष्ठभूमि

- 1957 में, बलवंत राय मेहता समिति ने सामुदायिक हितों का प्रतिनिधित्व करने और सरकारी विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए ग्राम-स्तरीय एजेंसियों की स्थापना की सिफारिश की थी।
- इस समिति ने निर्वाचित स्थानीय निकायों और प्रतिनिधिमंडल के निर्माण, उनके लिए संसाधन, शक्ति और अधिकार का प्रस्ताव रखा था।
- 1977 में, अशोक मेहता समिति ने अपनी क्षमता को पूरा करने में कथित विफलता के कारण पंचायती राज को एक राजनीतिक संस्था में बदलने का सुझाव दिया था।
- समिति ने इसके खराब प्रदर्शन के कारणों में असहानुभूतिपूर्ण नौकरशाही, राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी और संस्थान की भूमिका के बारे में अस्पष्टता का हवाला दिया।
- कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ने अशोक मेहता समिति की सिफारिशों के आधार पर नए कानून बनाए।
- 1989 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में संविधान संशोधन (चौसठवाँ संशोधन) विधेयक के माध्यम से देश भर में पंचायती राज संस्थाओं को मजबूत करने का प्रयास किया गया था, लेकिन यह राज्यसभा में पारित नहीं हो सका।

संशोधन के तहत प्रावधान

- 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम ने क्रमशः ग्रामीण और शहरी भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना की।
- संविधान के भाग IX का शीर्षक **"पंचायतें"** है और भाग IXA का शीर्षक **"नगर पालिकाएँ"** है।
- इन संशोधनों के बाद पंचायतों और नगरपालिकाओं को **"स्वशासन की संस्थाओं"** के रूप में नामित किया गया।
- ग्राम सभा गांवों में लोकतंत्र की मौलिक इकाई बन गई, जबकि नगर पालिकाओं ने **"वार्ड समितियों"** का इस्तेमाल किया। इसमें सभी वयस्क पंजीकृत मतदाता शामिल थे, जो पंचायत या नगर पालिका को जवाबदेह बनाते थे।
- 20 लाख से कम आबादी वाले राज्यों को छोड़कर, शासन के सभी तीन स्तरों के लिए प्रत्यक्ष चुनाव शुरू किए गए: **ग्राम पंचायत, तालुका/ब्लॉक पंचायत, और जिला पंचायत/परिषद।**
- महिलाओं के साथ ही पदाधिकारी और अध्यक्ष की एक-तिहाई सीटें भी महिलाओं के लिए आरक्षित हैं।
- प्रत्येक निकाय का कार्यकाल पांच साल का होता था, उत्तराधिकारी निकाय के चुनाव पिछले निकाय का कार्यकाल समाप्त होने से पहले पूरे करने होने होते हैं।
- विघटन की स्थिति में 6 माह के अन्दर चुनाव कराने होते हैं।
- इन चुनावों के लिए मतदाता सूची की निगरानी के लिए प्रत्येक राज्य में राज्य चुनाव आयोग की स्थापना की गई है।
- पंचायतें ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध क्षेत्रों जैसे कृषि, भूमि, सिंचाई, पशुपालन, मत्स्य पालन, कुटीर उद्योग और पेयजल विकास सहित सामाजिक न्याय सम्बन्धी योजनाएं बनाने के लिए जिम्मेदार हैं।
- 74वें संशोधन ने पंचायतों और नगरपालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिए जिला योजना समितियों की भी शुरुआत की है।

बीमा सुगम

सन्दर्भ: IRDAI ने बीमा सुगम को बीमा उद्योग के लिए एक संभावित **"गेम चेंजर"** और **"UPI moment"** के रूप में वर्णित किया है।

बीमा सुगम क्या है?

- बीमा सुगम एक ऑनलाइन प्लैटफ़ॉर्म है जो विभिन्न कंपनियों से विभिन्न प्रकार की बीमा योजनाएं प्रदान करता है।
- इसमें मोटर और यात्रा बीमा सहित जीवन, स्वास्थ्य और सामान्य बीमा शामिल हैं।
- यह प्लेटफ़ॉर्म पॉलिसी नंबरों का उपयोग करके स्वास्थ्य कवरेज और मृत्यु दावों के लिए कागज रहित दावा निपटान की सुविधा प्रदान करता है।
- बीमा योजना का विवरण एक बीमा के माध्यम से प्रारंभ में, रिपॉजिटरी, उसके बाद नीति सूची प्लेटफार्म में संग्रहीत किया जाएगा।
- बीमा सुगम का बजट लगभग 85 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
- IRDAI ने इसके विकास के लिए एक समिति का गठन किया है और इस प्लेटफ़ॉर्म के लिए एक सेवा प्रदाताओं के चयन हेतु प्रस्तावों के लिए अनुरोध (RFPs) जारी करने की योजना बनाई है।
- चुने गए सेवा प्रदाता ऑल-इन-वन सेवा प्लेटफ़ॉर्म बनाने और संचालित करने के लिए जिम्मेदार तकनीकी भागीदार होंगे।

उपभोक्ताओं के लिए उपयोगिता

- प्रस्तावित प्लेटफ़ॉर्म पॉलिसी धारकों के बीमा कवरेज को प्रबंधित करने के लिए एक एकीकृत इंटरफ़ेस के रूप में काम करेगा, जो खरीदारी, सर्विसिंग और दावों के निपटान के लिए एक सहज होगा।
- बीमा कंपनियों के पास इस मंच के माध्यम से वैध और प्रामाणिक डेटा तक वास्तविक समय की पहुंच होगी।
- यह बिचौलियों और एजेंटों को पॉलिसी बेचने, पॉलिसी धारकों की सहायता करने, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने और कागजी कार्रवाई को कम करने के लिए सुविधा प्रदान करेगा।
- इससे पॉलिसियों पर कमीशन कम होने की उम्मीद है, जिससे ग्राहकों की लागत बचत बढ़ेगी।
- बीमा सुगम का लक्ष्य सभी क्षेत्रों में बीमा योजनाओं की विशाल विविधता को सरल बनाना है, जिससे ग्राहकों को एक ही मंच पर सबसे उपयुक्त विकल्पों को आसानी से पहचानने में मदद मिलेगी।
- इससे ग्राहकों को सही बीमा योजना खोजने के लिए एजेंटों से परामर्श करने या कई बीमाकर्ताओं की वेबसाइटों पर जाने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।

Face to Face Centres

DELHI MUKHERJEE NAGAR: 9205274741, 42 | LAXMI NAGAR : 9205212500, 9205962002 | RAJENDRA NAGAR: 9205274743 | UTTAR PRADESH PRAYAGRAJ: 0532-2260189, 8853467068 | LUCKNOW (ALIGANJ): 0522-4025825, 9506256789 | LUCKNOW (GOMTI NAGAR): 7234000501, 7234000502 | GREATER NOIDA: 9205336037, 38 | KANPUR: 7887003962, 7897003962 | GORAKHPUR : 7080847474, 9161947474 | ODISHA BHUBANESWAR: 9818244644/7656949029

dhyeyaias.com

भौतिक दस्तावेज़ीकरण पर प्रभाव:

- यहाँ ग्राहक एक ऑनलाइन बीमा खाता खोलेंगे जहां पॉलिसियां संग्रहीत की जाएगी। इससे भौतिक दस्तावेजों की आवश्यकता कम हो जाएगी।
- यह बदलाव पॉलिसी खरीद, दावों के निपटान प्रक्रिया को तेज़ और अधिक सुविधाजनक करेगा।
- यह दृष्टिकोण डीमैट खातों और शेयर बाजारों में ऑनलाइन ट्रेडिंग के समान है।

IRDAI का परिप्रेक्ष्य:

- आईआरडीएआई बीमा सुगम को एक इलेक्ट्रॉनिक मार्केटप्लेस प्रोटोकॉल के रूप में देखता है, जिसका उद्देश्य बीमा को लोकतांत्रिक बनाना और उसकी पहुंच बढ़ाना है।
- इसे इंडिया स्टैक से जुड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो API का एक सेट है यह सरकारों, व्यवसायों और स्टार्टअप के लिए निर्बाध डिजिटल सेवा वितरण को सक्षम बनाता है।
- आईआरडीएआई के वर्तमान अध्यक्ष देबाशीष पांडा हैं। यह आपूर्ति मूल्य श्रृंखला में बीमा हितधारकों को सशक्त बनाने की अपनी क्षमता पर जोर देते हैं।

कार्यान्वयन समयरेखा

- शुरुआत में इसे जनवरी 2023 में लॉन्च करने की योजना थी, पुनः बीमा सुगम का कार्यान्वयन 1 अगस्त तक के लिए स्थगित कर दिया गया और अब इसे जून 2024 के लिए पुनर्निर्धारित किया गया है।
- इसमें स्वामित्व को विभाजित किया जाएगा, जिसमें जीवन बीमा और सामान्य बीमा कंपनियों में से प्रत्येक के पास 47.5% हिस्सेदारी होगी, जबकि दलालों और एजेंट निकायों के पास 2.5% हिस्सेदारी होगी।

संभावित चुनौतियाँ और लाभ:

- बीमा सुगम को लागू करना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है जिसके लिए तकनीकी नवाचार की आवश्यकता है।
- अन्य चुनौतियों के बावजूद, इसमें भारत में बीमा पहुँच बढ़ाने की क्षमता है।
- एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस का एक अध्ययन देश में बेहतर बीमा कवरेज की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, वित्तीय सुरक्षा में बीमा के महत्व को पहचानने के बावजूद 94% उपभोक्ताओं को अपर्याप्त रूप से कवर किया गया है।

बीमा भेद्यता और सघनता:

- **बीमा भेद्यता:**
  - बीमा भेद्यता किसी देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के संबंध में बीमा प्रीमियम के अनुपात को प्रतिशत के रूप में व्यक्त करती है।
  - उदाहरण के लिए, यदि किसी देश का कुल बीमा प्रीमियम 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और उसी अवधि के लिए उसका सकल घरेलू उत्पाद 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, तो बीमा भेद्यता 10% होगा (यानी, 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर / 100 बिलियन * 100)।
- **बीमा सघनता:**
  - बीमा सघनता कुल जनसंख्या के बीमा प्रीमियम का अनुपात है, जो देश में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा बीमा प्रीमियम पर खर्च की जाने वाली औसत राशि को दर्शाता है।
  - सरल शब्दों में, यह देश के लिए प्रति व्यक्ति प्रीमियम व्यय है, जिसकी गणना कुल बीमा प्रीमियम को जनसंख्या से विभाजित करके की जाती है।
  - उदाहरण के लिए, यदि पिछले उदाहरण में देश की जनसंख्या 10 मिलियन है, तो बीमा घनत्व (प्रति व्यक्ति प्रीमियम) 1,000 अमेरिकी डॉलर होगा।

ग्रहीय सीमाएँ

प्रसंग: स्टॉकहोम रेसिलिएंस सेंटर के एक अध्ययन से पता चला है कि मनुष्यों ने सभी 9 ग्रहों की सीमाओं में से 6 का उल्लंघन किया है।

- इन बदलाव को रोकने के लिए ग्रहों की सीमाएँ पृथ्वी पर मानव प्रभावों की सीमा को परिभाषित करती हैं।
- मानवीय गतिविधियां, विशेष रूप से औद्योगिक क्रांति के बाद से औद्योगीकरण, वैश्विक पर्यावरण परिवर्तन के प्राथमिक चालक हैं।
- इन सीमाओं का उल्लंघन करने से विनाशकारी पर्यावरणीय परिवर्तन हो सकते हैं।
- इन ग्रहीय ढांचे में एक मानक घटक है, जो पृथ्वी की सीमाओं में मानव समाज के लिए एक "**सुरक्षित क्षेत्र**" को चिह्नित करता है।
- इसने सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और वैज्ञानिक समुदाय सहित अंतरराष्ट्रीय समुदाय में प्रभाव प्राप्त किया है।
- इस रूपरेखा में नौ वैश्विक परिवर्तन प्रक्रियाएं शामिल हैं, जिनमें से तीन (जैव विविधता हानि, जलवायु परिवर्तन और नाइट्रोजन चक्र) को 2009 तक पार कर लिया गया है।
- 2015 में, एक अपडेट से पता चला कि कुल चार सीमाएँ पार हो गई थीं: जलवायु परिवर्तन, जीवमंडल की अखंडता का नुकसान, भूमि-प्रणाली परिवर्तन और परिवर्तित जैव-भू-रासायनिक चक्र (फास्फोरस और नाइट्रोजन)।
- समग्र जीवमंडल कार्यप्रणाली पर जोर देने के लिए सीमा "**जैव विविधता की हानि**" का नाम बदलकर "**जीवमंडल अखंडता में परिवर्तन**" कर दिया गया।
- पृथ्वी की सभी प्रक्रियाओं को बाधित करने वाली विभिन्न मानव-जनित कार्यों पर विचार करने के लिए "**रासायनिक प्रदूषण**" सीमा का नाम बदलकर "**उत्कृष्ट संस्थान का परिचय**" कर दिया गया।
- 2022 में, यह निर्धारित किया गया था कि "**उत्कृष्ट संस्थान का परिचय**" उपलब्धता के आधार पर 5वीं पारगमन ग्रहीय सीमा बन गई।

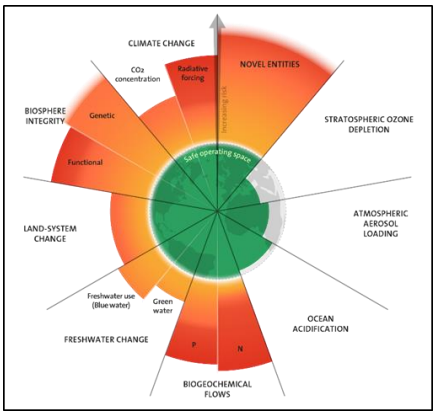

9 ग्रहों की सीमाएँ

- 2009 में, शोधकर्ताओं ने नौ ग्रहों की सीमाओं की पहचान की और वर्तमान वैज्ञानिक समझ के आधार पर उनमें से सात के लिए निम्नलिखित प्रस्तावित मात्राएँ निर्धारित कीं:
- **जलवायु परिवर्तन**: CO_2 सांद्रता को 350 पीपीएम से नीचे और विकिरण बल को +1 डब्ल्यू/एम^2 नीचे बनाए रखना.
- **महासागर अम्लीकरण**: समुद्री जल अर्गोनाइट संतृप्ति अवस्था को पूर्व-औद्योगिक स्तरों के 80% पर संरक्षित करना।
- **समतापमंडलीय ओजोन रिक्तीकरण**: पूर्व-औद्योगिक स्तरों से O_3 की कमी को 5% से कम तक सीमित करना।

- **नाइट्रोजन चक्र में जैव-भू-रासायनिक प्रवाह**: N_2 निर्धारण को 35 Tg N/वर्ष तक सीमित करना।
- **फॉस्फोरस चक्र में जैव-भू-रासायनिक प्रवाह**: महासागरों में वार्षिक फॉस्फोरस प्रवाह को प्राकृतिक अपक्षय के 10 गुना के भीतर रखना।
- **वैश्विक मीठे पानी का उपयोग**: 4000 किमी^{3}/वर्ष से कम अपवाह संसाधनों का उपभोग करना।
- **भूमि व्यवस्था परिवर्तन**: कृषि भूमि को बर्फ रहित भूमि के 15% से कम तक सीमित करना।
- **जीवमंडल अखंडता का क्षरण**: प्रतिवर्ष प्रति दस लाख प्रजातियों पर <10 विलुप्ति बनाए रखना।
- **रासायनिक प्रदूषण**: नवीन संस्थाओं के परिचय को नियंत्रित करना। यद्यपि इसके लिए वायुमंडलीय एयरोसोल लोडिंग के लिए कोई विशिष्ट वैश्विक सीमा परिमाणीकरण निर्दिष्ट नहीं किया गया था।

NEWS IN BETWEEN THE LINES

किसान ऋण पोर्टल

हाल ही में वित्त एवं कृषि मंत्रालय द्वारा 'किसान ऋण पोर्टल' का उद्घाटन किया गया।

किसान ऋण पोर्टल के बारे में:

- किसान ऋण पोर्टल किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) योजना के माध्यम से सब्सिडी वाले ऋण तक पहुंचने में किसानों की सहायता के लिए शुरू किया गया एक ऑनलाइन मंच है।
- इसे कई सरकारी विभागों के सहयोग से विकसित किया गया है।
- यह किसान डेटा, ऋण संवितरण विशिष्टताओं, ब्याज छूट दावों और योजना की प्रगति का एक व्यापक दृश्य प्रदान करता है।

किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) के बारे में:

- इसे 1998 में किसानों को कृषि आदानों की आसान खरीद और उत्पादन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनकी भूमि जोत के आधार पर ऋण प्रदान करने के लिए शुरू किया गया था।
- इसे नाबार्ड (राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक) द्वारा विकसित किया गया था।
- कृषि संबद्ध और गैर-कृषि गतिविधियों के लिए निवेश ऋण को कवर करने के लिए इसे 2004 में विस्तारित किया गया।
- योजना को सरल बनाने और इलेक्ट्रॉनिक किसान क्रेडिट कार्ड पेश करने के लिए इसे 2012 में संशोधित किया गया था।

हाथी गलियारे

हाथी गलियारों के बारे में?

- हाथी गलियारे भूमि की पट्टियाँ हैं जो दो या दो से अधिक अनुकूल आवासों के बीच हाथियों की आवाजाही को सुविधाजनक बनाती हैं।
- ये गलियारे हाथियों के संरक्षण और खंडित आवासों में उनके अलगाव को रोकने के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- हालिया रिपोर्ट भारत में हाथी गलियारों की संख्या में 40% की वृद्धि का संकेत देती है।
- भारत में हाथी-पर्यावास वाले चार क्षेत्रों में 15 रेंज-राज्यों में फैले 150 हाथी गलियारे (elephant corridors) हैं।
- पश्चिम बंगाल 26 गलियारों के साथ सबसे आगे है, जो कुल का 17% है।
- पूर्वी मध्य क्षेत्र में 52 गलियारे (35%) हैं, जबकि उत्तर पूर्व क्षेत्र में 48 गलियारे (32%) हैं।
- आवास विखंडन और विनाश के कारण दस गलियारों को पुनर्स्थापन की आवश्यकता है।
- हाथियों ने अपना विस्तार महाराष्ट्र के विदर्भ, दक्षिणी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश के रिजर्व और उत्तरी आंध्र प्रदेश जैसे क्षेत्रों में किया है।

अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान

के बारे में:

- अनामुडी शोला राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में स्थित है।
- इसकी सीमा कई अन्य संरक्षित क्षेत्रों से लगती है, जिनमें एराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान, पंपदम शोला राष्ट्रीय उद्यान, चिन्नार वन्यजीव अभयारण्य और मथिकेट्टन शोला पार्क शामिल हैं।
- पार्क में विभिन्न प्रकार की वनस्पतियाँ शामिल हैं, जिनमें दक्षिणी उपोष्णकटिबंधीय पहाड़ी वन, दक्षिणी पर्वतीय आर्द्र शीतोष्ण वन और नम पर्णपाती वन शामिल हैं।
- पार्क में छोटे कद के पेड़ों के साथ घने शोला वन हैं, जो हरे-भरे लाइकेन, काई और क्लाइंबर प्लांट की उपस्थिति के लिए उल्लेखनीय हैं।
- अनामुडी शोला जड़ी-बूटियों और झाड़ियों की लगभग 174 प्रजातियों, पेड़ों की 62 प्रजातियों और क्लाइंबर प्लांट की लगभग 40 प्रजातियों का घर है, जिनमें से कुछ इस क्षेत्र के लिए स्थानिक भी हैं।
- तेंदुए, सिवेट बिल्लियाँ, भेड़िये, भारतीय बाइसन (गौर), जंगली सूअर, हाथी, बाघ, पैंथर और स्लॉथ भालू समृद्ध जीव हैं।

डीपमाइंड

डीपमाइंड के बारे में:

- डीपमाइंड एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) अनुसंधान प्रयोगशाला और कंपनी है, जो अब गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट इंक की सहायक कंपनी है।
- इसकी स्थापना 2010 में लंदन, यूनाइटेड किंगडम में हुई थी।
- डेमिस हासाबिस (Demis Hassabis), शेन लेग और मुस्तफा सुलेमान ने डीपमाइंड की सह-स्थापना की।
- डीपमाइंड एआई और मशीन लर्निंग में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त करने के लिए प्रसिद्ध है।
- उल्लेखनीय उपलब्धियों में अल्फागो, एक एआई कार्यक्रम शामिल है जिसने एक विश्व चैंपियन गो खिलाड़ी (world champion Go player) को हराया और अल्फाजीरो, जिसने कई बोर्ड गेम में महारत प्राप्त की है।
- इसने यू. के. में एन. एच. एस. (राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा) जैसे संस्थानों के साथ सहयोग करके स्वास्थ्य सेवा में कदम रखा है।
- गूगल ने 2014 में डीपमाइंड का अधिग्रहण किया था परन्तु डीपमाइंड अल्फाबेट समूह के भीतर स्वतंत्र रूप से काम करना जारी रखा था।

ग्रीन नजेज (Green Nudges)

ग्रीन नजेज क्या हैं?

- ग्रीन नज सूक्ष्म हस्तक्षेप हैं जिनका उद्देश्य व्यक्तिगत विकल्पों को प्रतिबंधित किए बिना पर्यावरण के अनुकूल व्यवहार को बढ़ावा देना है।
- **चीन में अध्ययन:** एक चीनी ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के साथ एक अध्ययन ने "नो डिस्पोज़ेबल कटलरी" को डिफ़ॉल्ट विकल्प बनाकर और उपयोगकर्ताओं को "ग्रीन पॉइंट्स" से पुरस्कृत करके ग्रीन नज को लागू किया।
- **प्रभावशीलता:** अध्ययन में नो-कटलरी ऑर्डर में 648% की वृद्धि दर्ज की गई, जो ग्रीन नज की प्रभावशीलता पर प्रकाश डालता है।
- **उद्देश्य:** एकल-उपयोग प्लास्टिक को कम करने के लिए चीनी नियमों के जवाब में ग्रीन नज पेश किए गए, जिसकी शुरुआत स्ट्रॉ और प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध से हुई।
- **पर्यावरणीय प्रभाव:** इस हरित पहल के कारण अपशिष्ट उत्पादन में कमी आई और हजारों पेड़ों का रोपण संभव हुआ।
- **भारत में आवेदन:** एक प्रमुख भारतीय खाद्य वितरण मंच ज़ोमैटो ने भी कटलरी कचरे को कम करने के लिए इसी तरह के हरित उपाय को अपनाया है।

समाचारों में स्थान

नागोर्नो-कारबाख़

हाल ही में, अज़रबैजान ने नागोर्नो-काराबाख के खिलाफ एक सैन्य अभियान शुरू किया और जब तक कि वे क्षेत्र को पुनः प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक सैन्य अभियान जारी रखने का संकल्प लिया है।

स्थान :

- नागोर्नो-कराबाख दक्षिण काकेशस में काराबाख की पर्वत श्रृंखला के भीतर स्थित एक स्थलरुद्ध क्षेत्र है।

भूराजनीतिक स्थिति:

- नागोर्नो-काराबाख एक विवादित क्षेत्र है।
- इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अज़रबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता प्राप्त है, लेकिन 1990 के दशक की शुरुआत में पहले नागोर्नो-काराबाख युद्ध के बाद से यह गैर-मान्यता प्राप्त आर्टाख गणराज्य (जिसे नागोर्नो-काराबाख गणराज्य के रूप में भी जाना जाता है) द्वारा शासित किया गया है।

संघर्ष का इतिहास:

- यह क्षेत्र कई वर्षों से आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच संघर्ष का क्षेत्र रहा है।
- पहला नागोर्नो-काराबाख युद्ध 1980 के दशक के अंत और 1990 के दशक की शुरुआत में हुआ, जिसके कारण बड़ी संख्या में लोग हताहत हुए और लोगों का विस्थापन हुआ।
- 2020 में एक और युद्ध छिड़ गया, जिसमें अजरबैजान को क्षेत्रीय लाभ मिला।

समझौता: 10 नवंबर, 2020 को अजरबैजान, आर्मेनिया और रूस के बीच एक त्रिपक्षीय युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे 2020 का युद्ध समाप्त हो गया।

नाकाबंदी: 2022 में, अज़रबैजानी बलों द्वारा नागोर्नो-काराबाख की नाकाबंदी की खबरें थीं, जिससे मानवीय संकट उत्पन्न हो गया।

POINTS TO PONDER

- **स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित किया जाएगा ?** - चेन्नई में
- **द्विपक्षीय अभ्यास 'वरुण 2023' का दूसरा चरण कहाँ आयोजित किया गया?** - अरब सागर में
- **'एक्सरसाइज ब्राइट स्टार-23' किन देशों के मध्य आयोजित किया गया ?** - भारत और मिस्र
- **संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष तक लैंगिक समानता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है?** - 2030
- **हाल ही में किस देश ने 'मून स्नाइपर' चंद्र लैंडर SLIM को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया ?** - जापान ने